रि. प्र.सं. 07/2019 (47/2014) जीसीएमएस : 2019/00340

मीरां बनाम कुलदीप आदि

अन्तर्गत 251ए आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
16.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्रा.पं. भोमपुरा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थीया मीरा ने दिनांक 31.07.2014 को इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि रामसरा कुम्हारान मु.नं. 167 प.नं. 246/323 की 6.325है. में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि भोमपुरा बारानी मु.नं. 122 प.नं. 246/324 कि.नं. 5–6–15 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा भूमि रास्ता स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया था। प्रकरण में दिनांक 29.06.2015 को न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील प्रार्थीया द्वारा मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में दायर होने पर मा. न्यायालय द्वारा उनके आदेश दिनांक 29.02.2016 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.06.2015 को निरस्त कर प्रकरण इस आदेशों के साथ रिमाण्ड किया कि अपीलांट द्वारा खातेदारी भूमि में से रेस्पोडेंट की सुविधानुसार रास्ते के बराबर रकबा देने के प्रस्ताव पेश करने पर रास्ता स्वीकृत करें। रिमाण्ड प्रकरण प्राप्त होने पर इस न्यायलाय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 19.09.2016 (05.10.2016) को निर्णय पारित किया जाकर मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के ओदशों की पालना में रास्ते में आई भूमि के बदले भूमि के आदेश पारित कर रास्ता स्वीकृत किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.09.2016 के विरूद्ध मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील दायर करने पर मा. न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सं. 179/16, 190/2016 में संयुक्त रूप से दिनांक 23.09.2019 को निर्णय पारित कर न्यायालय के आदेश दिनांक 19.09.2016 को निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया कि रा.का.अ. की धारा 251ए के नियम 69 की पालना करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर विधिनुसार 2 माह में निर्णय पारित करें। रिमाण्ड प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष को तलब किया गया। एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका/रिकार्ड जांच रिपोर्ट ली गयी। अप्रार्थी कुलदीप की ओर से श्री मोहनलाल बाना अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थीया के नोटिस की तामील पुत्र पर हो जाने के बावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं हुए हैं। रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर क्रमांक/राजस्व/2021/1607 दिनांक 15.11.2021 का अवलोकन किया मुताबिक रिपोर्ट मौका पर चक भोमपुरा बारानी के प.नं. 246/324 मु.नं. 122 के कि.नं. 5/2/0.018, 6/3/0.008, 15/3/0.009 कुल 0.035है. गै.मु. रास्ता स्वीकृशुदा दर्ज रिकार्ड हैं। तथा मौके पर चालू हैं। प्रकरण के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता हैं कि प्रार्थीया की अब प्रकरण चलाने में कोई रूची नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया की गैरहाजरी में प्रकरण को चलाने का कोई औचित्य नहीं हैं। लिहाजा उक्त विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार रायसि[illegible] रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र की कार्यवाही इसी स्तर प[illegible]प [illegible] जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.11.2021 को लि[illegible]या जाकर मजमा–ए–आम में सुनाया गया। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर रायसिंहनगर कैम्प – भोमपुरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:27:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner